न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हिमांशु गुप्ता, आई.ए.एस.

सप्लाई अपील प्रकरण सं.– 01/2021

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थी**
1–कंवरालाल पुत्र बगडुराम विश्नोई निवासी ग्राम रजाला तहसील लोहावट जिला जोधपुर बहैसियत अधिकृत विक्रेता मैसर्स कंवरलाल उचित मूल्य दूकान, ग्राम रजाला तहसील लोहावट, जिला जोधपुर		1–जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर।

अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के क्लॉज 22 तथा लोक वेतरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2021 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.12.2020 जो विभागीय प्रकरण सं0 13/2019 सरकार बनाम कंवरलाल उचित मूल्य दूकान में जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :– **दिनांक 16.05.2022**

1– श्री अशोक विश्नोई अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)

2– श्री विभागीय पेरोकार अनुपस्थित (प्रत्यर्थीपक्ष)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:14 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विभागीय पत्रांक एफ 77(3) खा.वि./सत./जोधपुर/19 दिनांक 01.05.2019 को पालना में जांच दल शिवानी अस्थाना, प्रवर्तन अधिकारी व श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा दिनांक 29.05.2019 को मौके पर जांच कर जांच प्रतिवेदन दिनांक 04.06.2019 को तैयार कर मैसर्स कंवरलाल उचित मूल्य दुकान, ग्राम रजाला तहसील लोहावट के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी जोधपुर (ग्रामीण) जोधपुर के समक्ष पेश करने एवं जांच रिपोर्ट में

शिकायतकर्ताओं द्वारा समय पर दूकान नहीं खोलने की शिकायत करने एवं लगातार मौके पर दूकान बंद पायी जाने तथा संबंधित डीलर के स्थान पर अन्य व्यक्ति बाबूलाल (डीलर का भाई) उपस्थित होने, मौके पर स्टॉक रजिस्टर व पोश मशीन मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित करने एवं वैकल्पिक व्यवस्था करने का आदेश जारी करते हुए अपीलार्थी/अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण (13/2019) दर्ज कर विभागीय जांच प्रारम्भ की गई तथा बाद जांच अपीलार्थी/अप्रार्थी का राशन सामग्री गेंहू 54328 किग्रा का दुरूपयोग करने की पुष्टि मानते हुए दिनांक 31.12.2020 को अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर विभाग द्वारा निर्धारित 27/– रूपये प्रति किग्रा दर से राशि वसूल कर राजकोष में जमा करने का आदेश दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख भी मंगवाया गया। अधीनस्थ कार्यालय से मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 15.02.2022 को गुणावगुण बहस सुनी गई।

अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में राजनैतिक दबाव के चलते प्रस्तुत साक्ष्य सबूत व दस्तावेजात को नजरअंदाज करते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। जिला रसद अधिकारी के नोटिस में यह उल्लेख किया गया कि 54,328 किग्रा. गेहूँ का दुरूपयोग करने से राजस्थान खाद्य एवं पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 की धारा 20 व उसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या–5, 7, 8, 9, 10 व 11 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खण्ड 6(4) का उल्लंघन का नोटिस दिया गया जिसका सम्पूर्ण जबाब अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा दिया गया, परन्तु जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर ने बिना गौर किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त योग्य है। बहस में आगे कहा कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थीपक्ष को दिनांक 27.08.2019 को दिये नोटिस में 50,256 किग्रा गेहूँ कम मात्रा में होना बताया गया तथा रिकॉर्ड पुनः जांचने पर संशोधन नोटिस कर दिनांक 27.08.2019 को गलत मानते हुए 38,920 किग्रा गेहूँ कम होना बताया गया अतः उपरोक्त प्रकरण में बार बार जांचने पर रिकॉर्ड में भिन्नता यह दर्शाती है कि विभाग द्वारा मनमर्जी तरीके से कार्यवाही कर अपीलार्थी को दण्डित किया गया। बहस के निरन्तर में कहा कि अपीलार्थीपक्ष द्वारा पोश मशीन में वर्ष 2016, 2017 व 2018 में इन्द्राज गेहूँ की मात्रा गलत दर्ज होने बाबत् दुरस्त कराने हेतु जिला रसद अधिकारी को आवेदन किया गया, परन्तु जिला रसद अधिकारी ने उक्त त्रृटि को दुरस्त नहीं किया। सितम्बर 2016 में पोश मशीन में 127 क्विं गेहूँ अपडेट किया हुआ है परन्तु भौतिक रूप से गेहूँ अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुआ। बहस में यह भी कहा कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.07.2019 की संशोधित जांच रिपोर्ट में 38921 किग्रा गेहूँ में से जून 2016 से अगस्त 2016 की अवधि इन्द्राज गेहूँ की मात्रा हटाने पर 26,175/– किग्रा गेहूँ ही जांच प्रकट होता

लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:14 IST
Reason: SelfAttested

है जिस पर जांच नहीं की गई। बहस के अन्त में अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलार्थी के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी/अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 07.06.2019 से अपीलार्थी का उचित मूल्य दूकान का अनुज्ञापत्र निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा दिनांक 31.12.2020 को अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी मैसर्स कंवरलाल (कोड सं0 23346) ग्राम रजाला को माह सितम्बर 2016 से जून 2019 तक कुल 288799 किग्रा गेहूँ (सितम्बर 2016 से अप्रेल 2017 तक केवीएसएस फलोदी द्वारा कुल 83459 किग्रा. गेहूँ की आपूर्ति तथा रा.रा.खाद्य एवं आपूर्ति निगम लि. जोधपुर द्वारा माह मई 2017 से जून 2019 तक कुल 205340 किग्रा गेहूँ) की आपूर्ति हुई तथा उक्त अवधि में पोश मशीन से ऑन लाईन वितरण 227514 किग्रा. किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा अवशेष स्टॉक 61285 किग्रा में से 6957 किग्रा गेहूँ का हस्तान्तरण ही करने से 54328 किग्रा गेहूँ कम हस्तान्तरण किया जाना बताया गया तथा उक्त 54328 किग्रा गेहूँ का दुरूपयोग मानते हुए अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त करते हुए बाजार भाव 27/—रूपये प्रति किग्रा के हिसाब से राशि वसूल करने के आदेश दिया गया।

अपीलार्थीपक्ष का अपील में मुख्य कथन है कि दिनांक 27.08.2019 को दिये गये नोटिस में 50256 किग्रा गेहूँ कम होना बताया तथा रिकॉर्ड की पुनः जांचने पर संशोधन कर 38920 किग्रा गेहूँ कम होना बताया गया। इसी प्रकार 127 क्विं गेहूँ पोश मशीन में प्राप्त होना बताया गया जबकि वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हुआ तथा यह उजरात अधीनस्थ कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत जबाब में भी लिया गया इस बाबत् प्रवर्तन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 29.12.20 मय संलग्न दस्तावेज का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 के पत्रांक 159 दिनांक 17.08.2020 में मैसर्स कवरलाल को माह सितम्बर 2016 से मई 2017 तक किये गये गेहूँ का वितरण में माह सितम्बर 2016 के लिए बिल सं0 5641 दिनांक 24.08. 2016 को 127.45 क्विंटल गेहूँ का इन्द्राज किया हुआ है तथा उक्त गेहूँ प्राप्ति पर अपीलार्थीपक्ष के हस्ताक्षर भी किये हुए है अतः अपीलार्थी का यह कथन मानने योग्य नही है कि सितम्बर 2016 में उसको गेहूँ की आपूर्ति नहीं हुई हो। अपीलार्थी का यह भी आक्षेप है कि माह [illegible] 2016 से अगस्त 2016 तक गेहूँ आपूर्ति का पोश मशीन में 127.45 [illegible] का गलत इन्द्राज किया गया है उक्त अवधि में प्राप्त गेहूँ का पोश मशीन में इन्द्राज से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। वस्तुत उक्त 127.45 क्वि. गेहूँ माह सितम्बर 2016 के लिए जरिये बिल संख्या 5641 दिनांक 24.08.2016 को केवीएसएस फलोदी द्वारा आपूर्ति हुई। राज.रा.खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 जोधपुर के पत्रांक 890 दिनांक 27.08.2020 से प्राप्त सूची मय चालान प्रतियों के अनुसार माह सितम्बर 2017 में चालान संख्या 6143 दिनांक 16.08.2017 को 3340.400 किग्रा गेहूँ व चालान संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:14 IST
Reason: SelfAttested

7412 दिनांक 28.08.2017 को 3114.600 किग्रा गेहूँ, माह अक्टूबर के लिए चालान सं0 7365 दिनांक 21.09.2017 को 5817.000 किग्रा, माह दिसम्बर 2017 के लिए चालान सं0 774 दिनांक 26.12.2017 को 7226.000 किग्रा, माह जून 2018 के लिए चालान नं0 8547 दिनांक 04.06.2018 को 12000.000 किग्रा व जनवरी 2019 के लिए चालान सं0 1097736 दिनांक 21.01.2019 को 10390.00 किग्रा गेहूँ अपीलार्थी/अप्रार्थी को सुपुर्द किये गये तथा प्राप्ति के हस्ताक्षर भी किये गये है तथा इनका इन्द्राज पोस मशीन में भी दर्ज है। अपीलार्थी का एक एतराज यह भी है कि राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जोधपुर के चालान सं0 1343 दिनांक 30.05.2017 के जरिये 12855 किग्रा गेहूँ उचित मूल्य दूकानदार कंवरलाल के नाम दर्ज किया गया उस चालान में दूकान सं0 23344/POS मशीन सं0 23344 दर्ज है जबकि उसकी दूकान सं0 23346/POS मशीन सं0 23346 है यह एतराज भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त चालान में उचित मूल्य दूकानदार कंवरलाल का नाम दर्ज है तथा प्राप्ति की रसीद भी उसके द्वारा दी गई अतः अपीलार्थी द्वारा अपील में इस बाबत् लिये गये एतराज विश्वसनीय नहीं होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थीपक्ष द्वारा अपील में यह भी एतराज किया गया कि खाद्य सुरक्षा के तहत उ.मू.दू. की पोश मशीन सं0 23346 में गेहूँ की मात्रा अधिक मात्रा में इन्द्राज करने की शिकायते करने पर भी जांच नहीं की गई, प्रथम दृष्टया वो मानने योग्य नहीं है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 06.09.2019 को प्रस्तुत पूवर्क जाच रिपोर्ट मय दस्तावेजात में मैसर्स कंवरलाल रजाला पोश मशीन सं0 23346 में दर्ज स्टॉक व थोक विक्रेता से प्राप्त गेहूँ की आवक मात्रा के गलत इन्द्राज होने की शिकायत पर जांच कर तुलनात्मक प्रविष्टियां प्रस्तुत की गई उसके अनुसार ही 11336 किग्रा गेहूँ अधिक दर्ज होने पर संशोधन करना प्रस्तावित किया गया तथा उसके आधार पर ही कुल 38920 किग्रा कम हस्तान्तरण किया जाना बताया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:14 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी सारहीन होने से अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है, परिणामस्वरूप अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख पुनः अधीनस्थ कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।